उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय , 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी-26 /वसूली/ओ0टी0एस0/2019–20 दिनांक– 01-07-19

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरि0प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः 'एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2018' का दि0 31.07.2019 तक विस्तार।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओ.टी.एस/2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा **बैंक में "एक मुश्त समाधान योजना–2018"** लागू की गयी थी। जिसे पुनः **दि0 28.05.19 से 30.06.19 तक के लिये विस्तार किया गया था। उक्त अवधि दि0 30.06.19 समाप्त होने के दृष्टिगत** कृषकों को बकाया अदा करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के क्रम में योजना की अवधि अन्तिम चरण में लागू व्यवस्था के अनुरूप **दि0 31.07.19** तक पुनः विस्तार किये जाने हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन के शासनादेश सं0 1072/49–01–2019–06(32)/13टीसी–1 दि0 28 जून 2019 एवं कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 के पत्र सं0 947/अधि0–3/ दिः लखनऊ 28, जून 2019 द्वारा 'एक मुश्त समाधान योजना 2017–18' का **विस्तार दि0 31.07.2019 तक किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।**

सन्दर्भित योजना की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि शासनादेश सं0 2217/49–01/2017–06 (32)/13 दिनांक 30 जनवरी 2018 में निर्गत शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे। **योजना का विस्तार पत्र निर्गत की तिथि से दिनांक 31.07.2019 तक किया गया है।**

अतः उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में बैंक परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओ.टी.एस./ 2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा **बैंक में लागू की गयी "एक मुश्त समाधान योजना–2018"** को दिनॉक **31.07.2019** तक के लिये विस्तार किया जाता है। उक्तानुसार अल्प अवधि हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के दृष्टिगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करके अधिकाधिक बकायेदार कृषकों को लाभान्वित करते हुए बैंक की वसूली में तत्काल वृद्धि लायी जाय।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त **क्षेत्रीय प्रबन्धक,** उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अधिकारीगण** उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. **वरि0प्रबन्धक(कम्प्यूटर),** को बैंक की शाखाओं, क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई0मेल0 कराने हेतु।
4. समस्त **सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक** सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त **उप आयुक्त एवं उप निबन्धक** सहकारिता उ0प्र0।
6. समस्त **जिलाधिकारी** उत्तर प्रदेश।
7. समस्त **मण्डलायुक्त**, उत्तर प्रदेश।
8. **मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,** क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
9. निजी सचिव, मा0 सभापति प्र0का0 लखनऊ, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
10. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
11. प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक